आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः : 0522–2284880, 2627021,
फैक्सः 0522–2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्याः 501 /आ0ब0–1/स0आ0यो0–डी.पी.आर./2016 लखनऊ दिनॉकः 16 जून, 2016

प्रेषक,

एस0 के0 श्रीवास्तव,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ0प्र0।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत "समाजवादी आवास योजना" हेतु M/S Shree Hari Barter Ltd. Consortium द्वारा प्रस्तुत परियोजना "Samajwadi Awas" की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत **M/S Shree Hari Barter Ltd.Consortium** द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र के ग्राम–मोअज्जमनगर के खसरा नम्बर–58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68ख, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 182, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226क, 226ख, 228, 229, 230, 231, 225, ग्राम समाज की 2927 वर्ग मीटर भूमि जिसके खसरा नम्बर–66 69, 211 (आंशिक) 215 (आंशिक) को सम्मिलित करते हुए इसके स्थान पर खसरा नम्बर–84 में 2927 वर्ग मीटर भूमि छोड़ते हुए तथा ग्राम–कबीरपुर के खसरा नम्बर–1, 3, 3क एवं दुलारमऊ के खसरा नम्बर–862, 863, 864, 865, 866 तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ के अन्तर्गत **"Samajwadi Awas"** नामक परियोजना आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत की गयी थी। सम्बन्धित योजना को समाजवादी आवास योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्याः 73/2965/आठ–1–14–34बैठक/2014 दिनांक 12.12.2014 एवं शासनादेश संख्याः 74/3492/08–1–14–34 बैठक/2014 दिनांक 12.12.2014 के अनुपालन में परीक्षण करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 08.06.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है :–

1. शासन के अनुमोदन के पश्चात विकासकर्ता द्वारा उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अन्तर्गत सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से परियोजना मानचित्र की औपचारिक स्वीकृत प्राप्त करनी होगी।

2. परियोजना से सम्बन्धित समस्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र विकासकर्ता द्वारा परियोजना स्वीकृति हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।

3. परियोजना के स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं सेफ्टी हेतु प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।

4. समाजवादी आवास योजना की नीति निर्देशिका (अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नीति का निर्धारण) के धारा–8 के सभी उपबन्धों का अनुपालन विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

5. योजना के विकास एवं निर्माण कार्य अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने हेतु विकासकर्ता द्वारा ले–आउट प्लान की स्वीकृति के समय प्रचलित नियमों के अनुसार सम्बन्धित शासकीय अभिकरण के साथ 'डेवल्पमेन्ट एग्रीमेन्ट' एवं 'परफार्मेन्स गारन्टी' का निष्पादन किया जाएगा।

क्रमशः..............2

6. विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास एवं निर्माण कार्य 5 वर्ष में पूर्ण करने होंगे तथा योजना का कियान्वयन डी.पी.आर. के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब होने पर अपरिहार्य परिस्थितियों में विकासकर्ता के अनुरोध पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु 'केस–टू–केस' के आधार पर अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

7. अफोर्डेबल हाउसिंग का अधिकतम मूल्य सभी टैक्सों एवं सेवाओं को जोड़ते हुए धनांक रू. 30.00 लाख से अधिक नहीं होगा।

8. परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण स्थल के भू–उपयोग परिवर्तन होने पर सम्बन्धित भूमि का उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के कम में समाजवादी आवास योजना हेतु ही किया जायेगा।

9. विकासकर्ता को योजना के अन्तर्गत आ रही ग्राम समाज/सरकारी भूमि का सक्षम स्तर पर **Exchange Deed** सम्पादित कराने के बाद ही परियोजना पर निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।

सम्बन्धित परियोजना लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत है एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग अभी निर्धारित नहीं है। सम्बन्धित परियोजना को समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत उ0प्र0शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित योजना को अधिनियम की धारा–14 से सम्बन्धित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित भूमि को भविष्य में निर्धारित होने वाली महायोजना में आवासीय भू–उपयोग में निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत **"Samajwadi Awas"** नामक परियोजना की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित परियोजना पर आपके विकास क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति/अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: अनुमोदित डी0पी0आर0 की हार्डकापी एवं सॉफ्टकापी।

भवदीय,

/

(एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक (आवास बन्धु)/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को तदनुसार अवलोकनार्थ।
2. M/S Shree Hari Barter Ltd., Lucknow-226001 को इस आशय से प्रेषित कि यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक